निविदा आमंत्रण

विभागीय मानव संसाधन आपूर्ति के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियों के Empanelment हेतु

निविदा संख्या: P&DD/RFP- 02/2026-27

दिनांक: 22.04.2026

योजना एवं विकास विभाग
बिहार सरकार
पटना

115
116

प्रारूप
निविदा
योजना एवं विकास विभाग

योजना एवं विकास विभाग, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना/अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना/बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/मूल्यांकन निदेशालय, पटना/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यालय, पटना/योजना एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय परिचारी, वाहन चालक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए बाह्य स्त्रोत से कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदायी एजेन्सी को Empanell किया जाना है। इसके लिए संबंधित सक्षम एजेंसियों से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है।

2. आवेदन करने हेतु टेन्डर प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में मो0 5,000+जी0एस0टी0 eproc2.0 को ऑन–लाईन भुगतान किया जाना है।

3. आवेदन के साथ निविदा शुल्क के रूप में 5,000 (पाँच हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में निर्गत किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. सफल निविदादाताओं के साथ प्रथमतः तीन वर्ष के लिए अनुबंध होगा, जिसे संतोषप्रद कार्य के आधार पर, अधिकतम दो वर्षों (3 वर्ष+1 वर्ष+1 वर्ष) के लिए विस्तारित किया जा सकता है। संतोषप्रद कार्य का निर्णय विभाग द्वारा लिया जायेगा, जो अंतिम होगा।

5. इच्छुक सेवा प्रदायी एजेन्सियों को कम्पनी एक्ट/एल0एल0पी0 एक्ट में 05 वर्ष पूर्व से निबंधित लिमिटेड कम्पनी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/लिमिटेड लाएबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होना अनिवार्य है।

6. मानव आपूर्त्ति हेतु MSME लाइसेंस/ Trade लाइसेंस होना अनिवार्य है।

7. एजेंसी के पास मानव आपूर्त्ति हेतु श्रम विभाग, बिहार सरकार का लाइसेंस होना आवश्यक है।

8. एजेंसी के पास 1970 के लेबर एक्ट के तहत कम से कम तीन सौ मानव आपूर्त्ति हेतु वैध लेबर लाइसेंस होना आवश्यक है।

9. एजेंसी का वार्षिक कारोबार मानव संसाधन सेवाएँ आपूर्ति के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में (वित्तीय वर्ष 2022–2023, 2023–24 एवं 2024–25) औसत 10 (दस) करोड़ रूपये से कम न हो।

10. मानव संसाधन सेवाएँ आपूर्ति के क्षेत्र में 3 वर्षो का कार्य अनुभव प्राप्त हो, तथा वर्णित अवधि में किसी एक (Single Contract) सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान/विभाग में कम से कम तीन सौ कर्मियों की सेवा प्रदान की गयी हो।

11. निविदा केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। ई–निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ई–मेल आई0डी0 eproc2support@bihar.gov.in, Working Hours 8.00 am to 7.00 PM, eproc2.0 helpdesk, Adderes-mjunction Services ltd. R.J.Complex, 2nd Floor,

Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S.-Shastri Nagar, Patna 800014 से प्राप्त किया जा सकता है।

12. निविदा से संबंधित तकनीकी एवं वित्तीय दस्तावेज online portal-https://eproc2.bihar.gov.in/Epsv2web/ पर उपलब्ध होगा। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा online portal-https:eproc2.bihar.gov.in/Epsv2web/ पर दिनांक 20.05.2026 को संध्या 06 बजे तक अपलोड किया जा सकता है।

13. प्री बीड बैठक दिनांक 04.05.2026 को 11.30 बजे आयोजित होगी। प्री बीड बैठक से एक दिन पूर्व संध्या 05.00 बजे तक आपत्ति/सुझाव विभागीय ई–मेल आई0डी0 secy-plandev-bih@nic.in पर भेजी जा सकती है।

14. प्राप्त निविदाएँ दिनांक 21.05.2026 को अपराह्न 03.00 बजे विभागीय क्रय समिति के अध्यक्ष सह अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

15. विभाग एक या एक से अधिक एजेंसियों को Empanel कर सकेगा। सभी एजेंसियों के साथ Empanelment न्यूनतम दर पर ही किया जाएगा।

16. अन्य एजेंसी, जिनका दर न्यूनतम दर से अधिक है, उन्हें तभी Empanel किया जाएगा, यदि वो न्यूनतम दर पर कार्य करने को इच्छुक हैं।

17. कार्य आवंटन में उस एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका दर न्यूनतम है।

18. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईट https://state.bih.gov.in/planning/citizenHome.html को देखा जा सकता है।

(रणजीत कुमार)
अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की निविदा संबंधी नियम एवं शर्तें

1. योजना एवं विकास विभाग, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना/अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना/बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/मूल्यांकन निदेशालय, पटना/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यालय, पटना/योजना एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 512 कार्यालय परिचारी, 37 वाहन चालक एवं 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए बाह्य स्त्रोत से कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदायी एजेन्सी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। यह संख्या परिवर्तनीय है। भविष्य में आवश्यकतानुसार अन्य श्रेणी के कर्मियों की सेवा प्राप्त की जा सकती है।
2. निविदा से संबंधित तकनीकी एवं वित्तीय दस्तावेज online portal-https:eproc2.bihar.gov.in/Epsv2web/ पर उपलब्ध कराया जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा online portal-https:eproc2.bihar.gov.in/Epsv2web/ पर दिनांक 20.05.2026 को संध्या 06 बजे तक अपलोड (upload) किया जा सकता है।
3. सफल निविदादाता को कार्यादेश के आधार पर अनुमानित व्यय का 05 प्रतिशत Performance Security Deposit राशि किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गत फिक्सड डिपोजिट रसीद/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में निर्गत किया गया हो, जमा करना होगा। Performance Security Deposit की वैधता एकरारनामा अवधि के छः माह बाद तक की होनी चाहिए।
4. इस कार्य का तीन वर्षों का कुल अनुमानित मूल्य बयालीस करोड़ रूपये है।

निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा में निम्नांकित कागजात अपलोड किये जायेगें:–

i. कम्पनी एक्ट/एल0एल0पी0 एक्ट में 05 वर्ष से निबंधित लिमिटेड कम्पनी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/लिमिटेड लाएबिलिटि पार्टनरशिप फर्म के निबंधन प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

ii. MSME लाइसेंस तथा Trade लाइसेंस की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

iii. श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा मानव आपूर्त्ति हेतु प्राप्त लाइसेंस की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

iv. एजेंसी के पास 1970 के लेबर एक्ट के तहत कम से कम तीन सौ मानव आपूर्त्ति हेतु वैध लेबर लाइसेंस की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

v. ESI, EPF, GST निबंधन प्रमाण पत्र, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाण पत्र तथा पैन नम्बर की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

113 (112)

vi. चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्षों (वर्ष 2022–2023, 2023–24 एवं 2024–25) का औसत न्यूनतम 10 (दस) करोड़ रूपये का टर्न ओवर का प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

vii. किसी एक सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान/विभाग (Single Contract) में विगत तीन वर्षों में कम से कम तीन सौ कर्मियों की सेवा दिये जाने के संबंध में उक्त कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। (स्व अभिप्रमाणित प्रति।)

viii. विगत तीन वर्षों (वर्ष 2022–2023, 2023–24 एवं 2024–25) तक के आयकर रिटर्न की छाया प्रति। (स्व अभिप्रमाणित प्रति।)

ix. विगत तीन माह (जनवरी, 2026 से मार्च, 2026 तक) में कम से कम 1500 कर्मियों के ESI तथा EPF जमा करने संबंधी चालान की छायाप्रति (स्वअभिप्रमाणित)।

x. 10,00,000/–(दस लाख) रूपये अग्रधन के रूप में किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में निर्गत किया गया हो। बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी की Scan copy eproc2.bihar.gov.in/Epsv2web पर अपलोड करना होगा तथा Hard copy (मूल में) अग्रसारण पत्र के साथ निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि तक मुख्य सचिवालय स्थिति योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रशाखा–1 में जमा करना होगा।

xi. टेन्डर शुल्क के रूप में 5,000/–(पाँच हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में निर्गत किया गया हो, की स्कैन कॉपी अपलोड करते हुए अग्रसारण पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति मुख्य सचिवालय स्थित योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रशाखा–1 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि तक जमा करना होगा। यह राशि Non refundable होगी।

xii. एजेन्सी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र, जो नोटरी के समक्ष लिया गया हो, दिया जाना होगा कि "कंपनी/एजेंसी/फर्म का रिकॉर्ड बेदाग है और किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त निकाय द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। कभी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/ स्वायत्त निकाय द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं के अलावा अन्य कारणों से ब्लैकलिस्ट/डिबार नहीं किया गया है और अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। किसी भी न्यायालय में एजेंसी के विरूद्ध किसी तरह का वाद लंबित नहीं है। "

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी पूरी प्रदर्शन प्रतिभूति (Performance Security Deposit)/अग्रधन (Earnest Money) राशि जब्त कर ली जाएगी और स्वीकृत सीमा तक पैनल में शामिल होना, यदि कोई हो, रद्द कर दिया जाएगा"। शपथ पत्र की मूल प्रति अग्रसारण पत्र के साथ निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि के दो दिनों के अंदर मुख्य सचिवालय स्थित योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रशाखा–1 में जमा करना होगा।

[शपथ पत्र (मूल रूप मे) एनेक्चर–I के अनुसार ।]

- निविदादाता को आई0एस0ओ0 ISO 9001:2015, में निविदा प्रकाशित होने के पूर्व से निबंधित होना अनिवार्य है।

केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा पर ही विचार किया जाएगा।

निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा निम्न प्रकार से दी जायेगी :–

निविदादाता द्वारा सेवा शुल्क के रूप में दिया गया दर (वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 2988 दिनांक 23.03.2023 के अनुसार प्रतिशत के रूप में अंकित करें)	(अंक एवं शब्द दोनों में अंकित करें)

अन्य शर्तें:–

1. आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 13876 दिनांक 03.11.2017 तथा पत्रांक 14556 दिनांक 17.11.2017 के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही इस आशय का एक शपथ पत्र भी सफल निविदादाता द्वारा देना होगा।
2. सफल एजेन्सी के साथ एकरारनामा की तिथि से यह अनुबंध तीन वर्षों तक वैध होगा। एजेन्सी की सेवा संतोषप्रद होने पर संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार अधिकतम दो वर्षो (1 वर्ष + 1 वर्ष) के लिए विस्तारित किया जा सकता है। सेवा संतोषप्रद है अथवा नहीं–इसका निर्णय योजना एवं विकास विभाग द्वारा लिया जाएगा, जो अंतिम और बाध्यकारी होगा।
3. एजेंसी का कार्यालय पटना, बिहार में भी अवस्थित होना चाहिए।
4. चयनित एजेंसी को कर्मियों (कार्यालय परिचारी, वाहन चालक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर) की सूची उपलब्ध करानी होगी **जिसमें से चयन का अधिकार योजना एवं विकास विभाग, बिहार को होगा। कार्यानुभव वाले एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानीय कर्मियों को सूची में प्राथमिकता देनी होगी।**
5. प्रत्येक कर्मी के पारिश्रमिक का भुगतान उनकी उपस्थिति के आधार पर, श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर चयनित एजेंसी द्वारा किया जायेगा। मासिक दर की गणना 26 दिनों के आधार पर की जायेगी।
6. कार्यालय परिचारी, वाहन चालक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को कुशल श्रेणी का मानदेय देय होगा। सफल एजेंसी द्वारा कर्मी के मानदेय से EPF तथा ESI मद में कर्मचारी के अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान के साथ संगत मद में एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से ससमय जमा किया जायेगा।
7. चयनित एजेंसी को प्रत्येक माह सभी इकाईयों से प्राप्त अनुपस्थिति के आधार पर मानदेय, ESI, EPF, सेवा शुल्क तथा जी0एस0टी0 सहित विपत्र समर्पित करना होगा।

(110)

समर्पित विपत्र के आलोक में विभाग से भुगतानोपरांत एजेंसी को 2 (दो) दिनों के अंदर सभी कर्मियों के मानदेय का भुगतान करना होगा। विपत्र के साथ पिछले माह में जमा किये गए ESI एवं EPF के चालान की सत्यापित प्रति जमा करना होगा।

8. उपलब्ध कराये गये किसी भी कर्मी की सेवा वापस लेने के पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान/सक्षम प्राधिकार की सहमति वांछनीय होगी। बिना सहमति के कर्मियों की सेवा वापस नहीं ली जा सकेगी।

9. विभाग एवं संलग्न कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध कराए गए कर्मियों का सम्बन्धित थाना से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र देना होगा। सभी कर्मी से किसी अपराध के लिए विधि न्यायालय द्वारा आरोपित नही किये जाने, जुर्माना नही किये जाने, पूर्व में अथवा वर्तमान में मुकदमा चलने एवं पूर्व में कभी गिरफ्तार हुए हैं या नही, से संबंधित शपथ पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

10. उपलब्ध कराये गये कर्मियों का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

11. (a) कार्यालय परिचारी हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण होने के साथ–साथ कम्प्यूटर की जानकारी होना आवश्यक होगा। साथ ही किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। कार्यालय परिचारी को फोटो कॉपी करना/स्मार्ट मोबाईल फोन चलाना आना चाहिए।

प्रशिक्षण/अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र सेवा प्रदायी एजेन्सी द्वारा निर्गत किया जायेगा एवं चयन के उपरांत सेवा के साथ उक्त प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(b) वाहन चालक को वाहन चलाने का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र एवं ड्राईविंग लाईसेंस की अभिप्रमाणित प्रति सेवा उपलब्ध कराने के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा। वाहन चालक को वाहन के बारे में सामान्य यांत्रिक ज्ञान तथा ट्रैफिक नियमों की जानकारी रखना आवश्यक है।

(c) कम्प्यूटर ऑपरेटर को कम्प्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम छः महीने का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग दक्षता का प्रमाण पत्र देना होगा।

12. सफल निविदादाता को सुनिश्चित करना होगा कि सेवा उपलब्ध कराए गए कर्मी कार्य अवधि/कार्य स्थल पर किसी प्रकार के नशा (शराब, सिगरेट, खैनी, तंबाकू आदि) का सेवन नही करेंगे।

13. सेवा उपलब्ध कराए गए कर्मी को शालीन वस्त्र यथा सफेद/आसमानी रंग का शर्ट, नीला/काला रंग का पैंट एवं जूता मे कर्तव्य पर उपस्थित होना होगा। वर्दी एवं पहचान पत्र एजेंसी द्वारा कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।

14. अगर कोई कर्मी कर्तव्य पर अक्षम या अनुशासनहीन पाये जाते हैं, तो संबंधित कार्यालय प्रधान की सूचना पर वैसे कर्मियों को हटाकर नये सक्षम कर्मी की सेवा एजेन्सी द्वारा

उपलब्ध करायी जायेगी। किसी कर्मी द्वारा विभाग से सीधे पत्राचार किए जाने पर इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा।

15. सेवा प्रदायी एजेन्सी द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार या योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के अधीन सरकारी नौकरी के लिए दावा नहीं करेंगें।
16. सेवा प्रदायी एजेन्सी के द्वारा श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन अधिसूचनाओं/नियमों/अधिनियमों/प्रावधानो इत्यादि का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
17. कर्मियों के अपने कार्य संपादन के दौरान किसी चोट या विकृति की जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय/विभाग की नहीं होगी।
18. कार्यालय अवधि एवं कार्य की प्रकृति, महत्ता तथा संबंधित पदाधिकारी के निदेश के अनुसार कार्यस्थल पर कर्मी की कार्य अवधि निर्धारित होगी।
19. कार्यालय परिचारी को डाक/पत्र/कागजात एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पहुँचाना/वितरण करना होगा। इसके लिए अलग से कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जायेगा।
20. सेवारत कर्मियों को भविष्य में निर्धारित राशि से कम भुगतान होने अथवा भुगतान में अनियमितता पाए जाने की सूचना प्राप्त होने तथा एकरारनामा की शर्तो के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी तथा विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा सकेगी।
21. निविदा से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार का निर्णय/आदेश अंतिम होगा।
22. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने अथवा संशोधित करने का अधिकार योजना एवं विकास विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
23. वैध एकरारनामा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को 01 (एक) माह के पहले सूचना देकर एकरारनामा विखंडित किया जा सकेगा।
24. निविदादाता द्वारा कार्य से इंकार करने की स्थिति में, गलत सूचना के आधार पर निविदा मे भाग लिये जाने पर एवं उपर्युक्त वर्णित किन्हीं शर्तो के उल्लंघन करने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

22/4/26

(रणजीत कुमार)
अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

1 DA

CHECKLIST OF TECHNICAL BID
(TO BE SUBMITTED ON LETTERHEAD OF THE FIRM)

SL NO	DOCUMENTS TO BE SUMITTED	WHETHER SUBMITTED (TICK YES/NO)		REF. PAGE No.	RELEVANT DETAILS	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7
1	Name &Address of the Firm/ Company Tel/Fax/email Details					
2	Certificate of Registration of Firm as private Limited company/Limited company/Limited Liability partneship under companies Act/LLP Act.					
3	Licence for manpower Supply from Labour Department of Bihar					
4	MSME licence for manpower supply					
5	Tender Document fee					
6	Earnest Money Deposit (EMD)					
7	Experience Certificate issued by concerned office of supplying more than 300 manpower in any Govt. department/office from 2023-24 to 2025-26					
8	Proof of office address (telephone bill, electricity bill etc.)					
9	Trade license					
10	Details of Bank Account of the firm. A cancelled cheque of the account of the firm to be enclosed					
11	Self Attested copy of pan card					
12	GST Registration Number					
13	Employee Provident Fund Registration Number					

(107) (108)

14	ESI Registration Number					
15	Professional Tax Registration Number					
16	Annual Turnover Certificate of last three financial year (2022-23, 2023-24 to 2024-25) duly certified by the Chartered Accountants					
17	Income Tax Return and Audited Balance Sheet of last three financial year					
18	Monthly ESIC contribution Sheet and EPF challan with ECR of Minimum 400 employees from 01.04.2023 to 31.03.2026					
19	Certificate of Registration of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970/Certificate of registration of 300 Manpower Supply					
20	Manpower Supply activities for the last three consecutive financial years upto 2024-25 should not be less than 10.00 crores, (Enclose Audited Balance Sheet and profit/ loss Statement)					
21	Not blacklisted certificate in the form of affidavit by the Notary					
22	An undertaking by the agency for Acceptance &Compliance of all terms & conditions mentioned in this tender					
23	Any other information					

Note :- All Documents/paper must be self Attested.

(Signature of Bidder)
(Rubber Seal)

107 106

FORMAT OF FINANCIAL BID

(TO BE SUBMITTED ON LETTERHEAD OF THE FIRM)

To: The Additional Secretary
Planning & Development Department, Bihar, Patna

Sub : Submission of financial bid for providing manpower services on outsourcing basis.

Sir,

With response to your tender mentioned above, our firm will be pleased to provide the manpower service on outsourcing basis. Our quote for % of service charge is as under.

% of Service charge against monthly wages (as per minimum wages Act of Govt. of Bihar as revised from time to time) to be quoted in the box along side.	(In numerical and words also)

GST shall be chargeable as per prevailing Govt. rules.
ESI, EPF & any other statutory obligation shall be applicable as per government norms.

Thanking you,

Yours faithfully,

Name and Signature of authorized signatory
Date :-

(seal of the firm)

(~~106~~) (105)

Annexure-I

Proforma for Affidavit

I------------------Proprietor/Director/Partner of the firm M/s.-------------do hereby solemnly affirm that our Company/Agency/Firm is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any Central Government/ State Government PSU/Autonomous Body.

We further declare that Our Company/Agency/Firm is never blacklisted/debarred and not declared ineligible for reasons other than corrupt & fraudulent practices by any Central Government/State Government/PSU/ Autonomous Body on the date of Bid Submission. Any Court Case in not pending against agency in any court.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security (Earnest Money/Performance Specurity) may be forfeited in full and the empanelment if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of
Proprietor/Director/Partner

Name of the Bidder:-

Authorized Signatory:-

Seal of the Organization:-

Date:-

Place:-

[To be Sworn before notary]